

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....सुपौल....., सं0.....171....., सन्2025.....

केस का प्रकार.....आर्बिट्रेशन.....(रागिनी कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य).....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
08.07.2026	आवेदक एवं राज्य उपस्थित । DLAO सुपौल ने कार्यालय पत्रांक-09/भू0अ0, दिनांक-06.07.2026 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि उक्त परियोजना अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण RFCTLARR ACT-2013 के तहत किया गया है, जिसमें विक्षुप्त हितबद्ध रैयत पीठासीन पदाधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, सहरसा के समक्ष वाद दायर कर सकते हैं । आवेदक एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया । RFCTLARR ACT-2013 की धारा-51 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार' का गठन किया गया है । अतः प्रस्तुत वाद इस न्यायलय में Maintainable नहीं है । तदालोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे ।  आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा । लेखापित एवं शुद्धित ।  आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

